

ANNEXURE-VIII
DECLARATION / UNDERTAKING FROM THE STUDENT

सम्बन्ध:- श्रीमती/ श्रीमान वार्डन

.....
छात्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

मैं.....शपथकर्ता/शपथकर्ता सशपथपूर्वक एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ/ देती हूँ।

1. यह कि मैं शपथकर्ता/शपथकर्ता विश्वविद्यालय केसंस्थान के कक्षा.....कोर्स.....वर्ष की छात्रा/छात्र है।
2. यह कि मैं छात्रावास के अपने कक्ष में बिजली के उपकरण मुख्यतः कुकटॉप्स, प्रेस, हीटर, टी0वी0 आदि का प्रयोग नहीं करूँगी/करूँगा। यदि चोरी छिपे इन उपकरणों के प्रयोग करते वक्त मैं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती/जाता हूँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्रावास प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
3. यह कि मैं छात्रावास में विभिन्न मौसमों के आधार पर छात्रावास से बाहर व अन्दर आने व जाने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करूँगी/करूँगा। यदि छात्रावास से बाहर रहने के दौरान मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होती/होता हूँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्रावास उस घटना के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
4. यह कि मैं छात्रावास में संचालित मेस हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्दर भोजन मेस में ही बैठकर ग्रहण करूँगी/करूँगा। मेस का भोजन कभी भी कमरे में नहीं ले जाऊँगी/जाऊँगा। छात्रावास व मेस में किसी भी कर्मचारी एवं छात्रावास वार्डन से दुर्व्यवहार नहीं करूँगी/करूँगा एवं अपने किसी विभागीय/व्यक्तिगत मित्र, रिश्तेदार आदि को अपने कक्ष में बिना पूर्वानुमति के नहीं रूकाऊँगी/रूकाऊँगा।
5. मैं छात्रावास एवं मेस के मद में देय सभी शुल्कों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर समय-समय जमा करूँगी/करूँगा। सत्र के मध्य में छात्रावास शुल्क/भोजन शुल्क में यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई वृद्धि की जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा अधिकतम एक माह में देय होगी/होगा। यदि उपरोक्त शुल्क समय से नहीं जमा होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकार होगा कि वह शपथकर्ता/शपथकर्ता को परीक्षा में न बैठने दिया जाए एवं अन्य अनुशासनात्मक कानूनी कार्यवाही की जाए।
6. यह कि मैं किसी प्रकार प्रतिबंधित मादक नशीले पदार्थ/दवाओं का उपयोग एवं विक्रय नहीं करूँगी/करूँगा एवं किसी भी प्रकार के अनाधिकृत बैठक, धरना, जुलूस में न शामिल होगी और न ही संचालन करूँगी/करूँगा तथा न ही विश्वविद्यालय एवं छात्रावास की सम्पत्ति/ परिसम्पत्ति को नुकसान पहुंचाऊँगी/पहुंचाऊँगा। यदि ऐसा करती/करता हूँ तो विश्वविद्यालय प्रशासन उपरोक्त नुकसान की वसूली एवं उचित कानूनी कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

7. यह कि मैं छात्रावास नियमावली जो इस शपथपत्र का अभिन्न अंग है के अन्य नियमों का अक्षरशः पालन करूँगी/करूँगा। यदि शपथकर्ती/शपथकर्ता की पुत्री/पुत्र छात्रावास नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने की दोषी पायी जाती/पाया जाता है तो छात्रावास प्रशासन को अधिकार होगा कि वह शपथकर्ती/शपथकर्ता की पुत्री/पुत्र को बिना छात्रावास फीस वापस किये छात्रावास से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दें अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड जो मुझे देय होगा।
8. छात्रावास व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानान्तरित करने एवं कक्ष परिवर्तन करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि मैं छात्रावास में शालीन वस्त्र एवं शालीन भाषा को प्रयोग करूँगी/करूँगा। उपयुक्त अनुदेश के अनुपालन में मेरी तरफ से त्रुटि पाये जाने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
10. यह कि मैं विश्वविद्यालय परिसर एवं छात्रावास परिसर में होने वाले कार्यक्रमों में बुलाए जाने पर पूर्णतया योगदान दूँगी एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लूँगी/लूँगा।
11. यह कि मैं हॉस्टल टाइम-टेबल का पालन करूँगी/करूँगा।

सत्यापन:- मैं उपरोक्त शपथकर्ती/शपथकर्ता सत्यापित करती/करता हूँ कि इस शपथ में उपरोक्त तथ्य 1 एवं 11 में दिये गये समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। आज दिनांक.....सत्यापित किया।

शपथकर्ता छात्रा/छात्र के पिता के हस्ताक्षर

छात्रा/छात्र के हस्ताक्षर